न्यायालय तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थी   बनाम   विप्रार्थी

राजस्थान सरकार
पटवारी हल्का **चौखला**

रेखाराम पुत्र करनाराम
जाति मेघवाल निवासी करनपुर

मुकदमा नम्बर **10 / 2018** अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 30.10.2018

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपरिथत । पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हे कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2075 में ग्राम **करणपुर** के खसरा नम्बर 188 रकबा 3.11 बीघा किस्म गै. मु. रास्ता भूमि मे से रकबा 0.10 बीघा में अनाधिृत रूप से रास्ता रोककर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिर्पोट पेश की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

विप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.08.18 को जवाब प्रस्तुत किया , जिसमें श्रीमान न्यायालय मं उक्त अनवान का प्रकरण विचाराधीन है जिसकी आज पेशी तारीख है। मेरे खेत मं से निकलने वाले खं. नं. 188 किरम गै.मु. रारता में मुझे न्यायालय द्वारा अतीग्रमी मानते हुए नोटिस दिया गया है। कि उक्त गे.मु. रास्ता में मेरा व मेरे परिवार द्वारा किसी प्रकार का न तो अतीक्रमण किया गया है न हीं किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त किया गया है। बिन्दु.4– कि उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय के समक्ष मुझे बेवजह झुठा परेशान करने कि नियत से श्रीमान न्यायालय में सूचना दी गई है।बिन्दु 5– कि उक्त प्रकरण में जिम्मेदार नागरीक होने के कारण में उक्त गे.मु. रास्ते में जिस किसी खातेदार द्वारा अतीग्रकण किया गया है या अन्य पकार कि परेशानी है का समाधान करने का प्रयास करूगा। अतः श्रीमान जी ने निवेदन है कि उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा किसी प्रकार का अतीक्रमी न मानते हुए सहायता प्रदान करें।

उपर्युक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल पर लगाये गये आरोपों (अध्यारोपित आरोप) व उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम **करणपुर** के खसरा नम्बर 188 रकबा 3.11 बीघा किरम गै. मु. रास्ता भूमि मे से रकबा 0.10 बीघा में अनाधिृत रूप से रास्ता रोककर अतिक्रमण विप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है।

लगातार...2

अतः विप्रार्थी / गैर सायल को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कियां जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 1 रू 50 गुणा जुर्माना रू 50/– अखरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो। विप्रार्थी को मोके से बेदखल करने भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने हेतु भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो ,पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो । निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सुनाया गया।

तहसीलदार बायतु
तहसीलदार बायतु
जिला बाड़मेर